

RCMS

10

फर्द अहकाम

(नियम 13)

मिनिट
6/8/19

2019/08022 (General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)
अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी


बनाम


सिणधरी

रामनाथ कल्लु हाइमनाथ काम
काल केलिग सिणधरी चालीर

मु. न. 10 सन् 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी-चौ</u> के खसरा संख्या <u>6.1</u> रकबा <u>0.03 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गो.मु. गौचर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर क द व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p>6/8/19 पत्रावली पल्लुत हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित। गैर सायल के अपने कब्जे के खसरा कोई विधि समत साक्ष्य पल्लुत नहीं किए, गैर सायल के गो.मु. गौचर के पत्रा. खसरा व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया, अतः गैर</p>


रामनाथ
को SPD

साथल के अतिरिक्त मानते हुए, पत्रा-
वली के सल सुमार है। निगर्षभिलग
रु लिखल जाकर शामिल पत्रावली
है। निगर्ष सुके-भापालपके सुनाम
गण। पत्रावली के सल सुमार छेकर
दाखिल डफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर